अध्याय-४

श्रमनीति

काम की दशायें

छुट्टियां एवं अवकाश

—भारतीय मजदूर संघ

प्रस्तावना

'Labour Policy' पुस्तक जो मा० श्री ठेंगड़ी जी, गोखले जी व मेहता जी द्वारा लिखी गई है। यह प्रस्तुत पुस्तिका उसी पुस्तक के अध्याय क्र० ४ की हिन्दी रूपान्तर है।

इसके अनुवादक राष्ट्रीय सुरक्षा श्रमिक संघ, कानपुर के मंत्री व उत्तर प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के कार्यसमिति-सदस्य श्री रमाकान्त शुक्ल हैं।

इसीप्रकार शेष १९ अध्यायों के भी हिन्दी अनुवाद प्रकाशित किये गये हैं।

—प्रकाशक

अध्याय–४

काम की दशायें

छुट्टियां एवं अवकाश

सवेतन छुट्टियाँ, देय अवकाश, आकस्मिक अवकाश, अस्वस्थता अवकाश, काम के घन्टे तथा अधिकार्यकाल (ओवरटाइम) आदि व्यवस्थाओं के लिये कारखाना अधिनियम, दुकान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठान अधिनियम व राज्य वीमा कर्मचारी योजना अधिनियम बने हैं तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बहुत से स्थायी आदेशों एवं सामुहिक, सौदेबाजी में समझौते के अंग बन चुके हैं। इस प्रकार इस सम्बन्ध में भारत के कर्मचारियों को कुछ वैधानिक तथा कुछ समझौतेजन्य अधिकार प्राप्त हो गये हैं। साधारणतया इतस्तः सुधारों, जो यूनियनों द्वारा मांग प्रस्तुत किए जाने पर आवश्यक होगा—को छोड़कर, संरचनात्मक परिवर्तनों में कुछ और जोड़ना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रमुख बाधायें दो हैं—प्रथम कानून की इन व्यवस्थाओं का क्रियान्वयन बहुत त्रुटिपूर्ण है। विशेषतौर से कारखानों व ऐसे क्षेत्रों जहां श्रमिक अब भी असंगठित हैं और दूसरे कमवेश फैक्ट्री के कर्मचारी सवेतन छुट्टियों, अवकाश आदि के मामलों में लिपिक वर्ग की अपेक्षा कम सुविधायें पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप फैक्ट्री स्टाफ में गैरहाजिरी (विशेष रूप से जहां २४ घन्टे काम किया जाता है और रात्रि पालियों का नियम है) अनवरत है तथा श्रमिक को बिना वेतन छुट्टी लेने की आवश्यकता पड़ती है। हमारी बहुत पुरानी और जीवमान सभ्यता है तथा समूचे वर्ष में बड़ी संख्या में लोगों को बहुत से उत्सव एवं त्योंहार मनाने पड़ते हैं। सभ्यता की यह एक

सुन्दर परिपाटी है। इसे सभी प्रकार से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, साथ ही इसमें कई धर्म व सम्प्रदायों द्वारा आयोजित किए जाने वाले त्योहारों या महत्वपूर्ण दिवसों या आर्वाचीन राष्ट्रीय नेताओं के जन्म व निर्वाण व शतवार्षिक को सम्मान व समानता देने हेतु सम्मिलित किया जाना चाहिए। कई उद्योगों में सेवायोजकों द्वारा इन छुट्टियों और अवकाशों के बारे में शिकायतें की गई हैं तथा कुछ न्यायाधिकरणों ने वर्तमान छुट्टियों की संख्या में कटौती के निर्णय भी दिए हैं। हमारी राय में, मुख्य दोष छुट्टियों के निर्धारण हेतु पंचांग **(Calender)** स्वीकार करने में है। हमारे पंचागों पर एक सूक्ष्म दृष्टि डालने पर पता चलेगा कि हिन्दू और मुसलमानों के बहुत से धार्मिक त्योहार पूर्णचन्द्र (शुक्ल पक्ष), चन्द्र विहीन (कृष्ण पक्ष) दिनों में पड़ते हैं। अस्तु छुट्टियों के देने का विषय प्राचीन सिद्धान्त चन्द्र पंचांग पर निर्भर था। यदि यह पुनः चालू किया जाता है तो इस सम्बन्ध में सभी प्रमुख छुट्टियां जो लोगों द्वारा धार्मिक या राष्ट्रीय महत्व के दिवसों के रूप में मनायी गयी हैं, को भी सम्मिलित किया जाता है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुचेंगे कि रविवार का साप्ताहिक अवकाश हमारे रहन सहन के अनुकूल वाले छुट्टियों के नये चक्र में पूर्णरूप से परिवर्तित हो जावेगा। जब तक कि यह प्रकृति से सम्बन्धित प्रबन्ध नहीं किया जाता तब तक के लिए हमारे सामाजिक, धार्मिक जीवन की आवश्यकता, विकास व संरचना के प्रति कम सम्मान रखने वाले पश्चिमात्य रिवाजों को उद्योगों द्वारा प्रदत्त प्रविधानों पर हम अपने सामजिक जीवन को मागों द्वारा एक अंकुश को लागू करना आवश्यक समझते हैं। क्योंकि इस पद्धति ने लोगों को उच्चवर्गीय **(White Colour)** और निम्न वर्गीय **(Blue Colour)** ऐसे दो वर्गों में कर्मचारियों को विभाजित कर दिया है। पाश्च्यवर्ती की अपेक्षा पूर्ववर्ती वाला अधिक सुविधा जनक समझा जाता है। पाश्चिमात्य ढ़ंग के सप्ताहन्तों **(Week Ends)** के स्थानों पर छुट्टियों एवं अवकाशों को निर्धारण में हम अपनी संस्कृतियों व सम्मतियों के अनुसार परिवर्तन करें ताकि यह परिवर्तन

राष्ट्रीय स्तर पर हो सकें। जहां तक सम्भव हो सम्पूर्ण राष्ट्र को वेतन और काम का आनन्द एक-दिन एक समय पर मिले। ठीक उसी प्रकार जैसा की सभी को रात व दिन समान रूप से मिलता है तथा ये वे दिन होने चाहिए जब हम सामुहिक रूप से अपने अतीत का स्मरण कर सकें। वर्तमान समय में हमारे बहुत से त्योहारों के दिनों को छुट्टियों की सूची से काटा जा रहा है, जो अनुचित है और कटौती का यह ढंग हानिकारक भी है। छुट्टियों के नये पंचांग से जिसका हम सुझाव दे रहे हैं, श्रमिकों के बहुत से असंगठित वर्गों-जैसे खेतिहर मजदूर, गुमास्ता, घरेलु नौकर आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और उनकी ओर से पुरजोर मान्यता भी होगी।

अवकाशों की व्यवस्था के सम्बन्ध में यही विचार लागू होना चाहिये, जैसा कि पूर्व वर्णित किया जा चुका है। मजदूर जो फैक्ट्री में है और जो असंगठित हैं जैसे दुकान आदि इन्हें लिपिक या अन्य कर्मचारी की अपेक्षा कम छुट्टियां मिलती हैं अतः इस विषय पर प्रकृति प्रदत्त राय रखने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। प्रत्येक को वर्ष में १० दिन का आकस्मिक अवकाश व १० दिन का अस्वस्थता अवकाश इकट्ठा करने का अधिकार चाहिए पर सेवायोजकों की ओर से यह जिद्द है कि अवकाश एक अधिकार का विषय नहीं माना जाना चाहिए। उनका यह एक निरर्थक तर्क ही नहीं अपितु एक निरर्थक बाधा उत्पन्न करने वाला बहाना मात्र है। आकस्मिक और अस्वस्थता सम्बन्धी अवकाश आवश्यक व अनिवार्य हैं। तथा इस सम्बन्ध में सेवा-योजकों के अधिकार का प्रश्न केवल मजदूरों को असहयोग देने में सहायक होता है। यदि मजदूर को अस्वस्थता या अन्य किसी आकस्मिक कारणवश छुट्टी न मिले, जिसकी एक या दो महीने में कभी कभी या दो एक बार जरूरत पड़ती है तो उसके मन में उस प्रतिष्ठान के प्रति आत्मीयता का भाव नहीं जागृत हो सकेगा।

संपूर्ण परिस्थियों को देखते हुए व्यवस्थापकों से परामर्श करके

अनुपस्थिति में अन्य व्यक्ति की व्यवस्था व प्रबन्ध कराके सवेतन वार्षिक अवकाश, देय अवकाश लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कुछ ओर से यह सुझाव दिये गये हैं कि देय अवकाश की संपूर्ण सेवा के वर्षों की संख्या के साथ भी कुछ सम्बन्ध अवश्य रखें। श्रमिक जो अपेक्षाकृत अधिक सेवा में रखा गया है उसे अधिक देय अवकाश प्राप्त होने चाहिये। यह दैनन्दिन काम करने की मनहूसियत को समाप्त करेगी और पुनः लम्बी अवधि से काम करने वाले कर्मचारियों का मान भी करेगी।

इस कारण से सभी प्रकार की छुट्टियों (आकस्मिक के अतिरिक्त) को एकत्रित करने का अधिकार अप्रतिबन्धित होना चाहिए और आकस्मिक अवकाशों को भी ट्रेडयूनियनों और प्रबन्धकों के पारस्परिक समझौतों द्वारा दूसरे प्रकार के अवकाशों में परिवर्तित करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

ट्रेडयूनियनों के अधिवेशनों में भाग लेने पर सम्पूर्ण समय कार्य पर उपस्थित माना जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में बैंकिंग उद्योग की वर्तमान व्यवस्था अन्यों के लिये मार्गदर्शक हो सकती है।

सुरक्षा और औद्योगिक स्वास्थ्य व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न यहाँ नहीं लिया जा रहा है इसलिये उस पर अलग से विचार करने आवश्यकता है।

प्रकाशक—
महामंत्री
भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश
२, नवीन मार्केट
कानपुर

मूल्य १० पैसे

मुद्रक—
टिप-टाप प्रिन्टर्स
२४/९१, बिरहाना रोड,
कानपुर—१